

भवन निर्माण शर्तें निम्नप्रकार होंगी

1. भवन 21.8.94.56 फीट, मीटर पर ही निर्माण किया जावे।
2. भवन के सामने सार्वजनिक मार्गों की चौड़ाई 55 फुट यथावत रखी जावे।
3. भवन निर्माण में ज्वलशील पदार्थ का प्रयोग न किया जावे।
4. पखना भंगी मुक्त (वाटरशील या फ्लेश) बनाये जावे। तथा पूर्ण अन्तर्गत ली जावे।
5. छज्जा या बालकनी न निकाली जावे।
6. भवन के पानी के निकास हेतु नगर पंचायत की नाली तक स्वयं के नाली निर्माण कराई जावे।
7. फार्म में दी हुई समस्त शर्तों का पालन किया जावे तथा निर्माण पूर्ण होने पर नगर पंचायत को लिखित सूचना दी जावे।
8. निर्माण फार्म 43789.12589 पर दी निर्माण कार्य करे।

S.A.P.

मुख्य नगर पालिका अदि
नगर पंचायत में